

(፲፭) የዕለቱንታዎች

| **କୁଳେ** -: **କୁଳେ**

三

-: bjørn

ગુજરાત, લક્ષ્ણા - / / 2019

/ ፲፻፲፭ / ፲፻፲፭ / ፲፻፲፭ /

2. 25 لەنگىزلى دەپتلى دەپتلى دەپتلى دەپتلى

ተፈፀሚ :- 1. 25 ቀንጻዬ ቀን ዓይነት ቀን ስራውን አለባቸዋል

፤ የሸጻችና ልማት ገዢ ቅዱስና ሆኖ ቅዱስና አገልግሎት

—000—

1. Տեսակ համար՝ ՀՀ ՀՀ ՀՀ ՀՀ / 4900 / գործադրություն, իշխանություն 15.10.2019
2. Հայ պատմական գործադրություն / պատմական գործադրություն, իշխանություն 19.12.2019

በዚህ ቁጥር በኋላ ተደርጓል

የተጠቀሙ ተከራካሪውን የሚያስፈልግ ስምምነት እና የሚያስፈልግ ስምምነት የሚያስፈልግ ስምምነት

(上) তথ্য পরিকল্পনা

ՀԱՅԻՑ ԽԵՆՈՒ ԵԲ

(፲፻፭፻) የኢትዮጵያውያን ቤ

'ביה

ગુજરાત, ગૃહિણી/૧૪/ ૨૩/૦૮/૨૦૧૯

/ ፩፻፲፭-፲፭ / ዓ.ም ቤት ማስታ

sits 坐 hill

Phone no. - 07722-235519

(15) ՃՐԴԻՑ-ԼՒԽԱ ՃՐԴԻՑ ԼՒԽԵ ԽՈՒԵ ԳՈԽ

የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ከዚህ

कार्यपालन अभियंता तोक निर्माण विभाग धमतरी संभाग धमतरी जिला — धमतरी (छ0ग0)

6

धमतरी जिले के धमतरी वनमंडल अन्तर्गत केरेंगाव एवं बिरुडी परिक्षेत्र अंतर्गत आरक्षित संरक्षित एवं राजस्व भूमि कुल रकबा 25.147 हेंड में प्रस्तावित केरेंगाव—गट्टासिली—बिरुडी मार्ग चौकीकरण एवं मजबूतीकरण हेतु कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग धमतरी संभाग धमतरी जिल धमतरी के पक्ष में प्रत्यावर्तन हेतु निम्नलिखित शर्तों पर सिद्धांतः राहमति भारत शासन द्वारा पत्र क्रमांक FC-II/CH-111/2019-NGP/5775 दिनांक 30-09-2019 के द्वारा निर्धारित 25 बिन्दुओं द्वारा प्रदान की गई है। शर्तों का पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार है :—

शर्त क्र.		सिद्धांतः में एतद् द्वारा दिये गये शर्ते	शर्तों के परिपालन में की गई कार्यवाही विवरण
(i)	Legal status of the forest land shall remain unchanged.		आवेदक संस्थान अधिरोपित शर्त के पालन के लिए सहमत है। (विचन पत्र संलग्न)
(ii)	Forest land will be handed over only after required Orange Area for the project is handed over by the user agency;		आवेदक संस्थान अधिरोपित शर्त के पालन के लिए सहमत है। (विचन पत्र संलग्न)
(iii)	Compensatory afforestation Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 50.3 ha Orange Area (Compartment No. 438 and 444, Range Mahasamund , Division Mahasamund) at the user agency . As far as possible a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any may be avoided;	<p>(a) प्रत्यावर्तन प्रस्ताव केरेंगाव—गट्टासिली—बिरुडी मार्ग चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण प्रस्तावित वन भूमि (25.147हें.) के बदले क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु महासमुद वनमण्डल के महासमुद वन परिक्षेत्र के नारंगी वनक्षेत्र अंतर्गत बैलर परिसर के कक्ष क्रमांक 438 रकबा 18.300 हे. वनखंड गोरखेड़ा एवं धनसुली परिसर के कक्ष क्रमांक 444 रकबा 32.000 हे. वनखंड केशवा इस प्रकार कुल 50.300 हे. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु दुग्ने नारंगी वनक्षेत्र का चयन कर 10 वर्षीय सिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना तैयार किया गया है। जिसमें मिश्रित स्थानीय चबदेशी प्रजाति का रोपण किया जावेगा।</p> <p>(b) क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु व्यनित नारंगी क्षेत्र में वृक्षारोपण हेतु आनापति प्रमाण पत्र कार्यकर्तर जिला महासमुद द्वारा अपने पत्र क्र./1877/अ.भ.अ./रा.नि./व.अ.प./2019 दिनांक 11.12.2019 के द्वारा प्रदाय किया गया है। (सुलभ संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न है) (विचन पत्र संलग्न)</p>	
(iv)	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land Shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may included appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years,		आवेदक संस्थान अधिरोपित शर्त के पालन के लिए सहमत है। (विचन पत्र संलग्न)

NPV;

- a. The State Government shall change the Net Present Value (NPV) for the 25.147 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003,28/03/2008,24/04/2008/ and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP(C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/998 FC(Pt.II) dated 18/09/2003 as well as letter No. 5-2/2006 FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard ;
- b. Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, Shall be Charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect;

- (vi) User agency Shall restrict the felling to trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling to trees shall be deposited by the User Agency with State Forest Department;
- (vii) All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal (<https://parivesh.nis.in>);

The Complete Compliance of the FRA , 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector ;

- State Government Shall take action against the violation of Forest (Conservation) Act, 1980 as per provision of MoEF&CC advisory dated 29.01.2018 An action taken report shall be submitted along with compliance report;
- User agency shall raise strip plantation on both sides and central verge of the road as per the IRC norms;

(v)

(a) केरेगांव-गट्टासिली-बिरयुडी मार्ग चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण प्रस्तावित वन भूमि व्यपवर्तन हेतु रकबा 25.147 है. के बिरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दर पर प्रत्याशा मूल्य की राशि 19385981/- रुपये ई-चालान UTR No. - SBINR 52019121300140258 दिनांक 12.12.2019 के माध्यम से कैम्पा खाता में जमा किया गया है।
(वचन पत्र संलग्न)

आवेदक संस्थान अधिरोपित शर्त के पालन के लिए सहमत है।
(वचन पत्र संलग्न)

केरेगांव-गट्टासिली-बिरयुडी मार्ग चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण प्रस्तावित वन भूमि व्यपवर्तन हेतु रकबा 25.147 है. मैं मार्ग की 'ई राशि निम्नानुसार द्वारा आरटीजीएस के माध्यम से कैम्पा खाते में जमा कर दिया गया है।
विवरण निम्नानुसार:-

क्र	विवरण	राशि	चालान क्र /दिनांक
01	शतिपूर्ति दृक्षारोपण	36551381.00	UTR No. - SBINR
02	प्रत्याशा मूल्य	19385921.00	52019121300140258
03	दारिड़क प्रत्याशा मूल्य	132102.00	दिनांक 12.12.2019
04	वन्य प्राणी संरक्षण योजना	506500.00	
	योग :-	61114404.00	

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत वन अधिकार संबंधित कलेक्टर जिला धमती का प्रमाण पत्र संलग्न है।

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत किये गये उल्लंघन का भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश दिनांक 29.01.2018 के अनुसार किये गये कार्यवाही प्रतिवेदन संलग्न है।
(वचन पत्र संलग्न)

आवेदक संस्थान अधिरोपित शर्त के पालन के लिए सहमत है।
(वचन पत्र संलग्न)

(xi)	Speed regulation signage will be erected along the road at regular intervals in the protected Areas/Forest Areas;	आवेदक संस्थान अधिरोपित शर्त के पालन के लिए सहमत है। (वचन पत्र संलग्न)
(xii)	The user agency shall provide suitable under passes in forest Area as per recommendation of REC and Wildlife Management Plan;	आवेदक संस्थान अधिरोपित शर्त के पालन के लिए सहमत है। (वचन पत्र संलग्न)
(xiii)	User Agency Shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act 1986, if applicable;	पर्यावरण (संस्करण) अधिनियम 1986 के दिये गये शर्तों में छटू संबंधी परिपत्र संलग्न है। आवेदक संस्थान अधिरोपित शर्त के पालन के लिए सहमत है। (वचन पत्र संलग्न)
(xiv)	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of central Government ;	आवेदक संस्थान अधिरोपित शर्त के पालन के लिए सहमत है। आवेदक संस्थान अधिरोपित शर्त के पालन के लिए सहमत है। (वचन पत्र संलग्न)
(xv)	No labor camp shall be established on the forest land;	आवेदक संस्थान अधिरोपित शर्त के पालन के लिए सहमत है। आवेदक संस्थान अधिरोपित शर्त के पालन के लिए सहमत है। (वचन पत्र संलग्न)
(xvi)	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel shall be provided by the User Agency to the laborers after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation of any other legal source of alternate fuel;	आवेदक संस्थान अधिरोपित शर्त के पालन के लिए सहमत है। आवेदक संस्थान अधिरोपित शर्त के पालन के लिए सहमत है। (वचन पत्र संलग्न)
(xvii)	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost , as per the direction of the concerned Divisional Forest Officer;	आवेदक संस्थान अधिरोपित शर्त के पालन के लिए सहमत है। (वचन पत्र संलग्न)
(xviii)	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work;	आवेदक संस्थान अधिरोपित शर्त के पालन के लिए सहमत है। (वचन पत्र संलग्न)
(xix)	The period of diversion under the approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favor of the user agency of the project life, whichever is less;	आवेदक संस्थान अधिरोपित शर्त के पालन के लिए सहमत है। (वचन पत्र संलग्न)
(xx)	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project;	आवेदक संस्थान अधिरोपित शर्त के पालन के लिए सहमत है। (वचन पत्र संलग्न)
(xxi)	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India;	आवेदक संस्थान अधिरोपित शर्त के पालन के लिए सहमत है। (वचन पत्र संलग्न)
(xxii)	Violation of any of these conditions will amount to violation of forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No.11-42/2017FC dated 29/01/2018 ;	आवेदक संस्थान अधिरोपित शर्त के पालन के लिए सहमत है। (वचन पत्र संलग्न)
(xxiii)	Any other condition that the Ministry of Environment Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & Wildlife ;	आवेदक संस्थान अधिरोपित शर्त के पालन के लिए सहमत है। (वचन पत्र संलग्न)

(9)

(xxiv)	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in)	प्रथम चरण की पालन प्रतिवेदन ई पोर्टल में अपलोड कर दिया गया है।
(xxv)	The State Government if so desire may pass an order for tree cutting and commencement of work in accordance with the provisions as contained in section 11.2 Chapter- 11 of handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Conservation Rules 2003 (Guideline and Clarification) issued in 2019.	आदेतक संस्थान अधिरेपित शर्त के पालन के लिए सहमत है। लोक निर्माण विभाग धमतरी संभाग-धमतरी (छ.ग.)

कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग धमतरी
संभाग-धमतरी (छ.ग.)